

प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षण

दस्तावेज़ चरण: ड्राफ्ट

प्रोजेक्ट संख्या: 51395-002

अगस्त 2020

भारत: एमएफएफ उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए तैयार किया गया।

मुद्रा समतुल्य
(19 सितंबर 2020 तक (19 मई 2020 तक 4 महीने की अग्रिम दर)

मुद्रा इकाई	=	भारतीय रुपया (₹)
₹1.00	=	\$0.01307
\$1.00	=	₹76.5129

संकेताक्षर

- ABC – एरियल बंडल कंडक्टर
- ADB – एशियन विकास बैंक
- ASI – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
- ATC – कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (हानियाँ)
- BCM – अरब घन मीटर
- CEA – केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
- CERC – केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
- CPCB – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- DISCOM – वितरण कंपनी
- DVVNL – दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- EFS – पर्यावरणीय ढांचा एवं सुरक्षा उपाय (UPPCL का)
- EHS – पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा
- EIA – पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
- EMF – विद्युत चुंबकीय क्षेत्र
- EMP – पर्यावरण प्रबंधन योजना
- ESP – पर्यावरण एवं सामाजिक नीति (UPPCL की)
- GFP – शिकायत केंद्र व्यक्ति
- GHG – ग्रीनहाउस गैस
- GRC – शिकायत निवारण समिति
- GRM – शिकायत निवारण तंत्र
- ICNIRP – गैर-आयनकारी विकिरण संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय आयोग
- IEE – प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षण
- IFC – अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
- ILO – अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- MFF – बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा
- MOEF&CC – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- MOP – विद्युत मंत्रालय
- MVVNL – मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग
- PCB – पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल
- PIU – परियोजना कार्यान्वयन इकाई
- PMA – परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- PMC – परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- PMU – परियोजना प्रबंधन इकाई
- POPs – स्थायी जैविक प्रदूषक

PTW – निजी नलकूप
PuVVNL – पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
PVVNL – पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
R&R – पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास
ROW – मार्ग अधिकार (राइट ऑफ वे)
SAUBHAGYA – सहज बिजली हर घर योजना (भारत सरकार की परियोजना)
SARF – सुरक्षा आकलन एवं समीक्षा ढांचा
SEC – सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रकोष्ठ
SEP – सामाजिक एवं पर्यावरणीय नीति
SP&P – सामाजिक नीति एवं प्रक्रिया
TKC – टर्नकी ठेकेदार
UPPCB – उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UPPCL – उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
WHO – विश्व स्वास्थ्य संगठन

वजन और माप

ha	-	हेक्टेयर
amp	-	एम्पियर
Hz	-	हर्ट्ज
km	-	किलोमीटर (1,000 मीटर)
kV	-	किलोवोल्ट (1,000 वोल्ट)
kW	-	किलोवाट (1,000 वाट)
mG	-	मिलीगाँस

टिप्पणियाँ

- (i) भारत सरकार का वित्तीय वर्ष (FY) 31 मार्च को समाप्त होता है। किसी कैलेंडर वर्ष से पहले वाला वित्तीय वर्ष उस वर्ष को दर्शाता है जिस वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उदाहरण के लिए, FY 2020 का समापन 31 मार्च 2020 को होता है।
- (ii) इस रिपोर्ट में, "\$" का अर्थ अमेरिकी डॉलर है, जब तक कि उल्लेख न किया गया हो।

यह प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट ऋण लेने वाले का प्रपत्र है। इसमें व्यक्त विचार आवश्यक रूप से एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन या कर्मचारियों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और ये प्रारंभिक प्रकृति के हो सकते हैं। कृपया एडीबी की वेबसाइट पर "उपयोग की शर्तें" अनुभाग देखें।

किसी भी देश के कार्यक्रम या रणनीति को तैयार करने, किसी भी परियोजना को वित्तपोषित करने, या इस प्रपत्र में किसी विशेष क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख या संदर्भ देने में, एशियाई विकास बैंक का किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र की कानूनी या अन्य स्थिति के बारे में कोई निर्णय लेने का इरादा नहीं है।

कार्यकारी सारांश (EXECUTIVE SUMMARY)

1. यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (IEE), जिसमें परियोजना-स्तर की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) भी शामिल है, प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन मल्टीट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी परियोजना के संभावित उप-परियोजनाओं के प्रारंभिक आकलन और शुरुआती परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है। इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) की सुरक्षा नीति (2009) और भारत के पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों के अनुसार बनाया गया है। परियोजना के कार्य शुरू होने से पहले और कार्यान्वयन के दौरान, जब वास्तविक उप-परियोजनाओं और उनके डिजाइन को टर्नकी कांटेक्टर अंतिम रूप दे देंगे, तब इस प्रपत्र को परियोजना के सुरक्षा आकलन एवं समीक्षा ढांचा (SARF) के अनुसार अपडेट किया जाएगा। इसमें स्थल-विशेष अध्ययन, रोकथाम के उपाय और निगरानी व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा।
2. यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सुदृढ़ रूप से बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराएगी। परियोजना की मुख्य कार्यान्वयन संस्था उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) होगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व वाली वितरण कंपनी है। यह संस्था परियोजना की मॉनिटरिंग भी करेगी। UPPCL की चार सहायक वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) उप-परियोजनाओं को लागू करेंगी:
 - पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL)
 - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL)
 - दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL)
 - पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL)

3. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से एडीबी से 430 मिलियन डॉलर तक की सहायता बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा (MFF) के रूप में मांगी है।

एडीबी, UPPCL को 430 मिलियन डॉलर का ऋण दो किस्तों में देगा:

- पहली किस्त: 300 मिलियन डॉलर
- दूसरी किस्त: 130 मिलियन डॉलर (पहली किस्त में पर्याप्त प्रगति के बाद)

परियोजना की अवधि 9 वर्ष होगी और इसे दिसंबर 2029 तक पूरा किया जाएगा।

परियोजना के निम्नलिखित परिणाम (आउटपुट) होंगे:

- आउटपुट 1: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार।
- आउटपुट 2: कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग बिजली आपूर्ति व्यवस्था।
- आउटपुट 3: ग्रामीण क्षेत्रों में बिल वसूली, वित्तीय प्रबंधन और लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल में सुधार।

4. आउटपुट 1 के अंतर्गत, 75 जिलों में 22 उप-परियोजनाओं के माध्यम से 45,816 बस्तियों में कार्य किया जाएगा। इसमें 65,384 किलोमीटर पुराने खुले तारों को एरियल बंडल कंडक्टर (ABC) से बदला जाएगा। इस कार्य में मौजूदा खंभों और 11 केवी/400 वोल्ट ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाएगा, इसलिए पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम होने की संभावना है। पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलना इस परियोजना में शामिल नहीं है। आउटपुट 2 के तहत, PVVNL और DVVNL क्षेत्रों में फीडर अलग करने का कार्य किया जाएगा। इसमें मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशनों से नई 11 केवी लाइनें बिछाकर घरेलू उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मरों से जोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत कुल 1,092 फीडर अलग किए जाएंगे:

- 484 फीडर (14 जिलों में) PVVNL क्षेत्र में
- 608 फीडर (21 जिलों में) DVVNL क्षेत्र में

कोई नया सबस्टेशन नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा सबस्टेशनों का उपयोग किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उनका विस्तार किया जाएगा।

5. अधिकतर कार्य गांवों के अंदर ही होंगे, जहां पुराने खुले तारों को ABC से बदला जाएगा। इसलिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, केवल कुछ स्थानों पर सुरक्षा दूरी बनाए रखने के लिए हल्का बदलाव किया जा सकता है। फीडर लाइनों के लिए कुछ अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी, लेकिन ये अधिकतर ग्रामीण सड़कों के किनारे समतल जमीन पर बनाई जाएंगी। कुछ लाइनें आबादी वाले क्षेत्रों या खेतों से भी गुजर सकती हैं। खंभों और तारों के लिए बहुत कम निर्माण कार्य करना होगा। यदि किसी क्षेत्र में जैव विविधता, संरक्षित क्षेत्र या सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है, तो चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे क्षेत्रों से बचा जाएगा। लाइन के स्थान और डिजाइन के कारण एशियाई हाथियों को बिजली का खतरा भी नहीं होगा। इसलिए परियोजना से किसी बड़े या स्थायी पर्यावरणीय नुकसान की संभावना नहीं है। इसे एडीबी की नीति के अनुसार पर्यावरण श्रेणी "B" में रखा गया है।
6. संभावित प्रभाव निम्नवत् हैं:
 - (i) पुराने ट्रांसफार्मरों का प्रबंधन
 - (ii) अन्य प्रकार के प्रदूषण का जोखिम
 - (iii) पुराने तारों जैसे कचरे का निपटान
 - (iv) सुरक्षा के लिए पेड़ों की छंटाई
 - (v) काम के दौरान खेती, सड़क यातायात और आवागमन में अस्थायी बाधा
 - (vi) निर्माण और संचालन से जुड़े श्रमिकों और समुदाय की सुरक्षा संबंधी मुद्दे
 ये प्रभाव छोटे और अस्थायी होंगे। राष्ट्रीय नियमों और अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों (IFC EHS Guidelines) का पालन करके इन्हें नियंत्रित किया जाएगा। परियोजना-स्तर की EMP में मौजूदा सबस्टेशनों के सुधार के लिए कार्य योजना भी शामिल है। नई लाइन जोड़ने से पहले संबंधित DISCOM आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरण की नियमित निगरानी की जाएगी। यदि कोई अप्रत्याशित समस्या आती है, तो UPPCL और DISCOM एडीबी को इसकी सूचना देंगे।
7. प्रारंभिक परामर्श के दौरान, संभावित नमूना उप-परियोजना घटकों के साथ स्थित स्थानीय समुदायों को परियोजना के संबंध में उनकी पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 19 गांवों में परामर्श बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 279 प्रतिभागियों (21% महिलाएं) ने भाग लिया। स्थानीय समुदायों ने परियोजना के लाभों की पहचान की और प्रतिक्रिया आम तौर पर सकारात्मक थी, हालांकि कुछ गांवों ने फीडर पृथक्करण की आवश्यकता नहीं समझी। परामर्श प्रक्रिया के दौरान कोई बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं उठाया गया; अधिकांश लोगों का मानना था कि परियोजना के परिणामस्वरूप कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि संरक्षण, कार्यों के समय, डिजाइन में निवासियों की भागीदारी, बहुत अधिक फीडर लाइनों से होने वाली दृश्य अव्यवस्था, धूल को न्यूनतम रखने, आग के जोखिम को कम करने, बिजली की खपत में वृद्धि के जलवायु परिवर्तन प्रभावों से बचने और कृषि फीडरों को पानी की आपूर्ति के समय के बारे में निवासियों को सूचित रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आदर्श रूप से रात में ताकि वाष्पीकरण को कम किया जा सके और जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। यह IEE सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और स्थानीय स्तर पर तथा एडीबी वेबसाइट के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। SARF के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन के दौरान DISCOMs द्वारा सार्थक परामर्श किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परियोजना हितधारकों और स्थानीय समुदायों को उप-परियोजना घटकों के डिजाइन और किसी भी साइट-विशिष्ट मूल्यांकन के बारे में अपनी राय देने का अवसर मिले।